

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-22/2025- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० घनश्याम कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, प० चम्पारण, बेतिया का दिनांक-16.09.2020 से 20.09.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-21.09.2023 से 01.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

1.	दिनांक-16.09.2020 से 20.09.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-21.09.2023 से 01.02.2024 तक	
i.	दिनांक-21.09.2023 से 02.10.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-03.10.2023 से 15.10.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
iii.	दिनांक-16.10.2023 से 04.01.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-05.01.2024 से 21.01.2024 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
v.	दिनांक-22.01.2024 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

1383(2)

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-85/2024-

पटना, दिनांक

4/8/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प० चम्पारण/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, प० चम्पारण, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/डा० घनश्याम कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, प० चम्पारण, बेतिया/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

६